प्राक्कथन

यह रिपोर्ट भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में भारतीय रेल में एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण वह हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए। जहां आवश्यकता थी वहां अप्रैल 2015 से पूर्व और मार्च 2016 के बाद की अवधि के मामले भी शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।